

फर्द अहकाम

(नियम 26)

आदालत उपखण्ड अधिकारी, अलवर

मुकाम अलवर

ईसलाम बनाम राजू

रूम मुकदमा प्रा० पत्र 212 रा०का०अधि० नं०
नं०

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
05.02.2016	<p>आज यह पत्रावली मूल दावा के साथ वकील प्रार्थी ने पेश की। दर्ज रजिस्टर हों।</p> <p>वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गयी। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी का प्रथम दृष्ट्या केस एवं सुविधा का संतुलन व ना पूर्ति क्षति प्रार्थी के पक्ष में साबित होती है।</p> <p>अतः अप्रार्थीगण सं०. 1 व 2 को आगामी तारीख पेशी 02.03.2016 तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वो विवादित आराजी खसरा नम्बर हाल 1618, 1619, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 12628, 1649, 1651, 1655, 1656, 1657, 1658, 1668, 1683, 1684, 1685, 1792, 1793, 1810, 1813, 1951, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 2002, 2008, 2009, 2028, 2029, 2033, 2507, 2508, 2509, 2515, 2516, 2517, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2581, 2582, 1539, 3209, 3217, 3228, 3229, 3230, 3231, 3232 वाकेग्राम कारोली तहसील अलवर में वादी के कब्जे काशत में रूकावट ना करे। ना ही रहन बय करे। जो भी आपत्ति हो नियत दिनांक को उपस्थित होकर प्रस्तुत करें कि क्यों ना यह आज्ञा ता फैसला वाद ABSOLUTE कर दी जावे। तलबी अप्रार्थीगण जरिये रजिस्टर्ड नोटिस जारी हो। पत्रावली दिनांक 02.03.2016 को पेश हों।</p>	

उप खण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी,
अलवर

d/officework/reader/tyt
2/3/16

वकील वादी/पत्रावली उपखण्ड का कार्य स्थगन है। वकील प्रार्थी अथवा प्रशासनिक कार्य के लिए को कायम पत्रावली दिनांक 6/3/16 को पेश हो।

रिडर

क्र. म.	दुकम या कार्यवाही मय इतिहासगत जज	नम्बर य तारीख अहकाम जो इस दुकम की तामील में जारी हुए
	<p>१०/१०/१८ अपेक्षापूरक कार्य में बाध होने के कारण प्रशासकीय कार्य को रोक हो।</p> <p>४/१५/१८ प्राथमिक कार्य/प्रस्ताव उपर। पीताजीन अधिकारी अन्य प्रशासनिक कार्य में बाध होने के कारण प्रशासकीय कार्य को रोक हो।</p> <p>२५/०८/१८ प्राथमिक कार्य/प्रस्ताव उपर। पीताजीन अधिकारी अन्य प्रशासनिक कार्य में बाध होने के कारण प्रशासकीय कार्य को रोक हो।</p> <p>२५/०८/१८ प्राथमिक कार्य/प्रस्ताव उपर। पीताजीन अधिकारी अन्य प्रशासनिक कार्य में बाध होने के कारण प्रशासकीय कार्य को रोक हो।</p> <p>२५/०८/१८ प्राथमिक कार्य/प्रस्ताव उपर। पीताजीन अधिकारी अन्य प्रशासनिक कार्य में बाध होने के कारण प्रशासकीय कार्य को रोक हो।</p> <p>१५/११/१८ प्राथमिक कार्य/प्रस्ताव उपर। पीताजीन अधिकारी अन्य प्रशासनिक कार्य में बाध होने के कारण प्रशासकीय कार्य को रोक हो।</p> <p>१५/११/१८ प्राथमिक कार्य/प्रस्ताव उपर। पीताजीन अधिकारी अन्य प्रशासनिक कार्य में बाध होने के कारण प्रशासकीय कार्य को रोक हो।</p>	

15-5-18

भारत लोक अदालत अभियान आयोजित किए जाने के समय में राजस्व सुधारा विभाग के पत्र दिनांक 21.04.2015 में दिखाने वाले निर्देशों की मजता में आज यह पत्रावली को अवरुद्ध किया गया है। पत्रावली का अवलोकन किया जा रहा है। लोक अदालत के माध्यम से सुधारा किया जा सकता है। अतः पत्रावली को अवरुद्ध करने का निर्देश जारी होकर लोक अदालत के समक्ष दिनांक 18-6-18 से कारोली पर पेश हो

18-6-18

स्पेशल अधिकारी
राजपुर

18-6-18 पत्रावली न्याय आपके डोर 2018 राधावल लोक अदालत कैम्प कारोली में पेश हुई।


पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थी का प्रस्ताव पेश है। सुविधा का सुलभ एवं न्यायिक क्षति साबित होता है।


- अतः अप्रार्थी गण मख्या 1 व 2 को ताफैसला बाद पावम्द किया जाता है कि विवादित आरापी क्र० न० 1618, 1619, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624, 1625, 1626, 1617, 1628, 1649, 1651, 1655, 1656, 1657, 1658, 1668, 1683, 1684, 1685, 1792, 1793, 1810, 1813, 1951, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 2002, 2008, 2009, 2028, 2029, 2033, 2507, 2508, 2509, 2515, 2516, 2517, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2581, 2582, 1539, 3209, 3217, 3218, 3229

उ230 वाले ग्राम कारोली वादी के कर्षण का शत में फसल मजामत पैदा ना करे / रहम वेप

हुकम या कार्यवाही मय इति शयल जज

नहीं करे। पगावली जेसल मुमक होकर
नम्बर से काम हो। संलग्न मूल वाद रहे।


दलेंद्र सिंह
एडवोकेट
बैच सदस्य
राजस्व लोक अदालत


मदन लाल गायल
सेवानिवृत्त तहसीलदार
बैच सदस्य
राजस्व लोक अदालत


नीलाम सक्सेना
I.A.S.
उपखण्ड जयिपट्टी, अलवर

बर्गीत वारी/कफलाय अर्थात कर का कर्ष
अपमान होने के कारण अर्थात वारी का
विनाशिक..... की रेश हो।